



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"वर्कचार्ज वर्ग"

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांक:-33 / 23का0प्र0-अधि0 / 21

दिनांक:-14.01.2021

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,

क्षेत्रीय/राष्ट्रीय राजमार्ग / ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0

लो0नि0वि0, देहरादून / पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी ।

विषय- लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुये पेन्शन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- शासन का पत्र संख्या-2589 / 111(1) / 21-04(37)रि0या0 / 20, दिनांक 11.01.2021 ।

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं प्रति आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुये पेन्शन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु सिविल अपील संख्या-6883/2019 उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम श्री रमेश सिंह दाखिल करते हुए उत्तराखण्ड शासन की ओर से प्रति शपथ-पत्र दाखिल किया गया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से इस आशय का शपथ-पत्र दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 2768 कार्मिक सेवानिवृत्त हुए हैं। इन सेवानिवृत्त कार्मिकों में से दिनांक-01.04.2020 से 01.07.2020 तक 480 कार्मिकों को पेंशन प्रदान कर दी जायेगी। दिनांक-01.07.2020 से 01.10.2020 के मध्य 788 कार्मिकों को तथा दिनांक-01.10.2020 से दिनांक-31.03.2021 तक 1500 कार्मिकों को बजट प्राविधान के सापेक्ष एवं जैसे-जैसे कार्मिकों के सेवा अभिलेख उपलब्ध होंगे, पेंशन स्वीकृत कर ली जायेगी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के उक्त प्रति शपथ-पत्र के आधार पर सिविल अपील का निस्तारण उक्त समय-सीमा के भीतर किये जाने के निर्देश दिनांक-21.05.2020 के द्वारा निम्नानुसार पारित किये गये हैं।

"In view of the large number of persons involved and verification required as set out in the application, in the peculiar fact of the case, we are inclined to give time for compliance as per schedule given in Annexure p-4.

The application accordingly stands disposed of."

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित शपथ-पत्र में उल्लिखित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने तथा सेवानिवृत्त हो चुके वर्कचार्ज कार्मिकों के पेन्शन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब किये जाने तथा विलम्ब के कारण मा0 न्यायालय में अवमानना वाद योजित होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रकरणों के संबंध में इस कार्यालय के पत्र सं0-29 / 23का0प्र0-अधि0 / 21 दिनांक-12.01.2021 द्वारा आपके क्षेत्र के अधीनस्थ खण्डों के वर्कचार्ज कार्मिकों के पेंशन प्रकरण जो मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक-02.09.2019 से आच्छादित सभी अवशेष सेवानिवृत्त कार्यप्रभारित कार्मिकों के निस्तारण हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने तथा यदि किसी अधिशासी अभियन्ता / कार्मिक के स्तर पर लापरवाही दृष्टिगोचर हो तो उनका नाम इस कार्यालय को प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया है।

अतः शासन के उक्त पत्र दिनांक 11.01.2021 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि ऐसे अवशेष वर्कचार्ज कार्मिकों को नियमानुसार पेंशनरी लाभ तत्काल प्रदान किया जाए एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वर्कचार्ज कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब किये जाने तथा विलम्ब के कारण माओ न्यायालय में अवमानना वाद योजित होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके नाम इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकें।
संलग्न:-यथोपरि।

(हरिओम शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, वॉ, वृत्त, लोक निर्माण विभाग.....को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रा0/नि0/अ0/रा0मा0/वि0/यॉ0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग.....को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र आज ही विभागीय बेसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त कार्यालयों को ई-मेल भी करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी-1/।। कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष